जनपद - संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनाँक 10.01.2025

दबिश के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम **में थाना धनघटा पुलिस द्वारा** वारण्टी नाम पता राजन पुत्र फूलचन्द निवासी सेमरडाड़ी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री रामदरश यादव, का0 संतोष यादव।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता दीपक पुत्र अर्जुन विश्वकर्मा निवासी कैलाश नगर पुरानी आर0टी0ओ0 कार्यालय थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री सभाशंकर पाण्डेय, का0 बलराम यादव।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना मेहदावल पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6003 द्वारा मारपीट में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 6003 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत बिसरापार से कालर द्वारा मारपीट में घायल एक व्यक्ति (1.भोलू गौतम पुत्र भगवान दास ग्राम बिसरापार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद-सन्तकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर मारपीट में घायल व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सीएचसी खलीलाबाद भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायलों को ईलाज हेतु सीएचसी खलीलाबाद भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

***पीआरवी स्टाफ-* मु0आ0 बृजेश यादव, आ0 बबलू कुमार यादव, हो0चा0 अनिल पाण्डेय।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 135 वाहनों से 1,38,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 10.01.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 135 वाहनों से 1,38,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 10 गुण्डा एक्ट में जिलाबदर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, जिला बदर आदेश का उल्लंघन कर लुक छिप कर जनपद में कर रहा था निवास

आज दिनांक 10.01.2025 को पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री केशवनाथ*** के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना मेंहदावल ***श्री रामकृपाल सिंह*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति / वाहन व गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर 10 गुण्डा एक्ट में वांछित व जिलाबदर घोषित किए गये अभियुक्त नाम पता रामउजागिर पुत्र सोमई निवासी सानी केवटहिया थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को जनपदीय सीमा के अन्तर्गत उसके घर से जिलाबदर अवधि का उल्लंघन करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया। उक्त गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 11/2025 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 पंजीकृत किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त को जिला प्रशासन द्वारा छः माह की अवधि के लिए जनपद सन्तकबीरनगर से जिलाबदर का आदेश दिया गया था। अभियुक्त को इस आदेश का तामिला भी आदेशोपरान्त करवा दिया गया था, उसके उपरान्त भी अभियुक्त जनपद की सीमा में लुक छिप कर निवास कर रहा था। जिलाबदर आदेश के उल्लंघन के क्रम में थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्त को आज दिनांक 10.01.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री संजय कुमार वर्मा, का0 अनुराग सिंह।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 05 स्थान पर लगवाये गये 19 सीसीटीवी कैमरे

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे ***आपरेशन त्रिनेत्र*** हर घर कैमरा अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में आज दिनांक 10.01.2025 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 05 स्थान पर 19 सीसीटीवी कैमरें लगवाये गये। थाना महुली पुलिस द्वारा 03 स्थान पर 11 कैमरा, थाना धनघटा पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 04 कैमरा, थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 04 कैमरा लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरुर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में *मिशन शक्ति अभियान* के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अजीत चौहान* के निकट पर्यवेक्षण में *थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा* मु0अ0सं0 016/2025 धारा 64a, 115(2), 352, 351(3) बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता रामछेल यादव उर्फ रसीला पुत्र बासदेव यादव निवासी ढोढई थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को सरैया बाईपास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 06.01.2025 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादिनी की पुत्री के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने व मारपीट करने सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर सुसंगत धाराओं की बढ़ोत्तरी करते हुए त्वरित कार्यवाही कर आज दिनांक 10.01.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री दिलीप कुमार सिंह, हे0का0 हरिप्रकाश, का0 संजय प्रसाद ।

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गोवध निवारण अधिनियम के तहत अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व कुल 600 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में *संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल* के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 10.01.2025 को *मा0 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद संतकबीरनगर* द्वारा *थाना महुली* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 109/2001 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम प्रतिवादी जुम्मन उर्फ मतलूब पुत्र अब्दुल अजीज निवासी छितही थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के मामले में आदेश दिया गया कि अभि0 जुम्मन उर्फ मतलूब को अपराद स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम में जेल में बितायी गयी अवधि व 500रु0 के अर्थदण्ड व 5A/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम में जेल में बितायी गयी अवधि व 50रु0 के अर्थदण्ड एवं 3/11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम के अन्तर्गत 50रु0 के अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 2 दिवस के कारावास की सजा दी जाती है।